न्यायालय सहायक कलेक्ट्रर एव उपखण्ड अधिकारी
लूणी जिला जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी :– गोपाल परिहार आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 80/2020

प्रार्थी –

1– श्री बाबूलाल पुत्र श्री शिवाराम उम्र 60 वर्ष जाति पटेल (कलबी/चौधरी) निवासी धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. खंगारराम पटेल प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिंनाकः– 15/3/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व ग्राम धुन्धाड़ा के खसरा नं. 220 ,275 ,428, 435, 471,472/1,495, 498, 482, 501, 508, 509, 506, 545 एवं 530 की कृषि भूमि में प्रार्थी की अन्य सहखातेदारों के साथ सामलाती में कृषि भूमि है। तथा इसी प्रकार राजस्व ग्राम संत लिखमाराम नगर के खसरा नं. 634, 647, 648, 650, 651, 672, 672/1 की सामलाती में कृषि भूमि है जिसमें वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बाबूराम पुत्र शिवाराम दर्ज है जबकि ग्राम धुन्धाड़ा की कृषि भूमि खसरा नं. 220 रकबा 38 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम को 1977 में प्रार्थी सहित प्रार्थी के भाईयों द्वारा खरीद की गई थी जिसका नामान्तरण संख्या 265 स्वीकृत

किया गया जिसमें प्रार्थी का नाम बाबुलाल पुत्र शिवाराम इन्द्राज किया गया तथा खतौनी सम्वत् 2038 से 2041 में भी प्रार्थी का नाम बाबुलाल पुत्र शिवराम इन्द्राज किया गया परन्तु वर्तमान खतौनी में त्रुटिवश बाबुलाल के बजाय बाबूराम दर्ज कर दिया जो गलत है। दर्ज ग्राम धुन्धाडा के खसरा नं. 275 का बंटवाडा हेतु प्रार्थी एवं सहखातेदारों द्वारा राजस्व कैम्प में तहसीलदार जोधपुर को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थी का नाम बाबुलाल दर्ज है। तहसीलदार जोधपुर के आदेश से नामान्तरण भरा गया जिसमें व वर्तमान राजस्व रेकर्ड में बाबुलाल के स्थान पर बाबूराम दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज है। राजस्व गांव धुन्धाडा प्रार्थी के पिता शिवाराम पुत्र शेराराम जी का देहान्त होने पर विरासत का नामान्तरण दर्ज हुये जिसमें प्रार्थी का नाम कहीं कहीं बाबूराम पुत्र शिवाराम एवं कहीं कहीं बाबु पुत्र शिवा दर्ज हुआ जो वर्तमान खतौनी में बाबुराम पुत्र शिवाराम दर्ज है जिसे दुरूस्त कर बाबुलाल शिवाराम दर्ज करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 220 के संख्या 265 एवं खतौनी सम्वत् 2038 से 2041 की प्रमाणित प्रति पेश की जिसमें प्रार्थी का नाम बाबुलाल पुत्र शिवाराम दर्ज है जबकि वर्तमान खतौनी में बाबुराम पुत्र शिवाराम दर्ज है तथा प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 275 का बंटवाड़ा हेतु आवेदन किया उसमें भी प्रार्थी का नाम बाबुलाल दर्ज है तथा प्रार्थी के नाम से जो आधार कार्ड, पेन कार्ड,पासपोर्ट,बैंक खाता,बीमा पॉलिसी,राशन कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में भी प्रार्थी का नाम बाबुलाल पुत्र शिवाराम दर्ज है तथा इनके समर्थन में प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई खीमाराम के शपथ पत्र संलग्न है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम धुन्धाड़ा के खसरा नं. 220, 275, 428, 435, 471, 472/1, 495, 498, 482, 501, 508, 509, 506, 530 एवं 545 तथा राजस्व ग्राम संत लिखमाराम नगर के खसरा नं. 634, 647, 648, 650, 651, 672, 672/1 की कृषि भूमि की जमाबन्दियों में प्रार्थी का नाम बाबुराम पुत्र शिवाराम दर्ज है। उसके स्थान पर बाबुराम उर्फ बाबुलाल पुत्र शिवाराम दर्ज किया जावें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गोपाल परिहार)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी